

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ।

पटना, दिनांक- 16/03/17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ में संविदा के आधार पर नियुक्त/कार्यरत नगर प्रबंधक को प्रति माह ₹30300.00 (तीस हजार तीन सौ रु०) मात्र की दर से जनवरी, 2017 से फरवरी, 2017 तक (कुल 02 माह) मानदेय भुगतान करने हेतु सहायक अनुदान के रूप में ₹60600.00 (साठ हजार छः सौ रु०) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प ज्ञापांक- 2305, दिनांक- 03.05.2008 एवं मन्त्रिपरिषद् के मद संख्या- 04, दिनांक- 29.04.2008 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के आलोक में राज्य के विभिन्न नगर निकायों में संविदा के आधार पर नियुक्त/कार्यरत नगर प्रबंधको को ₹20,000.00 (बीस हजार रु०) प्रति माह की दर से मानदेय की स्वीकृति प्रदान की गई। विभागीय पत्रांक- 235, दिनांक- 20.08.2014 द्वारा नगर प्रबंधकों के मानदेय में वृद्धि करते हुए 01 सितम्बर 2014 के प्रभाव से प्रति माह मानदेय की राशि ₹26,000.00 (छब्बीस हजार रु०) कर दिया गया। पुनः विभागीय कार्यालय आदेश सं०- 314, दिनांक- 04.09.2015 सहपठित ज्ञापांक- 4600, दिनांक- 04.09.2015 द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से इनका मानदेय प्रतिमाह ₹30300.00 (तीस हजार तीन सौ रु०) मात्र कर दिया गया है। विभागीय आदेश सं०- 279-सहपठित ज्ञापांक- 4232, दिनांक- 30.06.2016 के क्रमांक- 01 द्वारा श्री आनन्द कुमार, नगर प्रबंधक, रिविलगंज को स्थानांतरित करते हुए नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ में पदस्थापित किया गया। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ के पत्रांक- 51 सा०, दिनांक- 14.01.2017 द्वारा इनके मानदेय भुगतान हेतु राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ के अनुरोध एवं विभागीय राज्यादेश सं०- 253 दिनांक- 16/03/17 के आलोक में नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ में पदस्थापित एवं कार्यरत नगर प्रबंधक को माह जनवरी, 2017 से फरवरी, 2017 (कुल 02 माह) तक के मानदेय भुगतान हेतु कुल ₹60600.00 (साठ हजार छः सौ रु०) मात्र निम्नवत् आवंटित किया जाता है :-

218

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	नगर प्रबंधक	कार्यरत नगर प्रबंधकों की संख्या	एक माह का मानदेय	दो माह का मानदेय	आवंटित मानदेय की कुल राशि
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ	1	30,300.00	60,600.00	60,600.00

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹60600.00 (साठ हजार छः सौ रु०) मात्र।

2. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ के नगर कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2016-17 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के उपरांत नगर प्रबंधक को एकाउन्टपेयी चेक द्वारा अवधि विस्तार की तिथि तक का ही भुगतान किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र टी०भी० नं० एवं तिथि सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को भेज कर उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को निश्चित रूप से एक पखवारे के अंदर उपलब्ध करा दी जाय।

3. आवंटित राशि से नगर प्रबंधक को मानदेय का भुगतान उनके नियोजन की अवधि का विस्तार 31 मार्च 2017 तक होने पर दिया जायेगा।

4. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

5. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.1998, एवं पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है।

(क) उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ- 6 में अंकित राशि की निकासी मांग संख्या - 48 (गैर योजना), मुख्य शीर्ष -2217- शहरी विकास -उप मुख्य शीर्ष -80- सामान्य- लघु शीर्ष-192 - नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता -उप शीर्ष 0008- नगर प्रबंधको हेतु, विषय शीर्ष - 31 04- सहायक अनुदान-वेतन, विपत्र कोड सं०- N 2217801920008 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।

6. राशि की निकासी एवं व्यय का अनुपालन प्रतिवेदन अथवा प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2017 तक अनिवार्य रूप से नगर विकास एवं आवास विभाग में प्राप्त करा देना होगा।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

217

9. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

15-3-17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/गै०यो०-19-03/2012 254 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-16/03/17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/नगर प्रबंधक, फुलवारीशरीफ/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा- 02, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को सभी संबंधित को ई०मेल करने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक को (2 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार, पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

15-3-17

सरकार के विशेष सचिव।

21/3/17

218

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 16/03/17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगर परिषद, फुलवारीशरीफ में संविदा के आधार पर नियुक्त/कार्यरत नगर प्रबंधक को प्रति माह ₹30300.00 (तीस हजार तीन सौ रु०) मात्र की दर से जनवरी, 2017 से फरवरी, 2017 तक (कुल 02 माह) मानदेय भुगतान करने हेतु सहायक अनुदान के रूप में ₹60600.00 (साठ हजार छः सौ रु०) मात्र की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प ज्ञापांक- 2305, दिनांक- 03.05.2008 एवं मंत्रिपरिषद के मद संख्या- 04, दिनांक- 29.04.2008 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के आलोक में राज्य के विभिन्न नगर निकायों में संविदा के आधार पर नियुक्त/कार्यरत नगर प्रबंधको को ₹20,000.00 (बीस हजार रु०) प्रति माह की दर से मानदेय की स्वीकृति प्रदान की गई। विभागीय पत्रांक- 235, दिनांक- 20.08.2014 द्वारा नगर प्रबंधकों के मानदेय में वृद्धि करते हुए 01 सितम्बर 2014 के प्रभाव से प्रति माह मानदेय की राशि ₹26,000.00 (छब्बीस हजार रु०) कर दिया गया। पुनः विभागीय कार्यालय आदेश सं०- 314, दिनांक- 04.09.2015 सहपठित ज्ञापांक- 4600, दिनांक- 04.09.2015 द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से इनका मानदेय प्रतिमाह ₹30300.00 (तीस हजार तीन सौ रु०) मात्र कर दिया गया है। विभागीय आदेश सं०- 279-सहपठित ज्ञापांक- 4232, दिनांक- 30.06.2016 के क्रमांक- 01 द्वारा श्री आनन्द कुमार, नगर प्रबंधक, रिविलगंज को स्थानांतरित करते हुए नगर परिषद, फुलवारीशरीफ में पदस्थापित किया गया। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, फुलवारीशरीफ के पत्रांक- 51 सा०, दिनांक- 14.01.2017 द्वारा इनके मानदेय भुगतान हेतु राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, फुलवारीशरीफ के अनुरोध के आलोक में नगर परिषद, फुलवारीशरीफ में पदस्थापित एवं कार्यरत नगर प्रबंधक को माह जनवरी, 2017 से फरवरी, 2017 (कुल 02 माह) तक के मानदेय भुगतान हेतु कुल ₹60600.00 (साठ हजार छः सौ रु०) मात्र निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है :-

2/15

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	नगर प्रबंधक	कार्यरत नगर प्रबंधकों की संख्या	एक माह का मानदेय	दो माह का मानदेय	स्वीकृत मानदेय की कुल राशि
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ	1	30,300.00	60,600.00	60,600.00

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹60600.00 (साठ हजार छः सौ रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

2. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ के नगर कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2016-17 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के उपरांत नगर प्रबंधक को एकाउन्टपेयी चेक द्वारा अवधि विस्तार की तिथि तक का ही भुगतान किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र टी०भी० नं० एवं तिथि सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को भेज कर उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को निश्चित रूप से एक पखवारे के अंदर उपलब्ध करा दी जाय।

3. स्वीकृत राशि से नगर प्रबंधक को मानदेय का भुगतान उनके नियोजन की अवधि का विस्तार 31 मार्च 2017 तक होने पर दिया जायेगा।

4. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

5. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.1998, एवं पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है।

(क) उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ- 6 में अंकित राशि की निकासी मांग संख्या - 48 (गैर योजना), मुख्य शीर्ष -2217- शहरी विकास -उप मुख्य शीर्ष -80- सामान्य- लघु शीर्ष-192 - नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता -उप शीर्ष 0008- नगर प्रबंधको हेतु, विषय शीर्ष - 31 04- सहायक अनुदान-वेतन, विपत्र कोड सं०- N 2217801920008 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।

6. राशि की निकासी एवं व्यय का अनुपालन प्रतिवेदन अथवा प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2017 तक अनिवार्य रूप से नगर विकास एवं आवास विभाग में प्राप्त करा देना होगा।

7. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/गै०यो०-19-03/2012 के पृष्ठ सं०- 74...../टि० पर दिनांक-10-3-17..... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०- 74...../टि० पर दिनांक-15-3-17..... को प्राप्त है।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

24

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
10. इसकी सूचना जिला पदाधिकारी, पटना/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

15-3-17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/गै०यो०-19-03/2012 253 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-16/3/17

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, पटना/प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ/नगर प्रबंधक, फुलवारीशरीफ/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा- 02, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को सभी संबंधित को ई०मेल करने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक को (2 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार, पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

15-3-17

सरकार के विशेष सचिव।

21/3/17

15-3-17